बिहार सरकार
अन0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0–3/निदे0–पी0ओ0ए0(स्था0 एवं प्र0)01–07/2021– 95

प्रेषक,

प्रियंका रानी, भा0प्र0से0,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक:– 11/08/2026

विषय:–**वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, नियम, 1995 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के आलोक में अत्याचार से राहत अनुदान हेतु अनु0 जाति के लिए कुल ₹6,40,00,000/–(छः करोड़ चालीस लाख रू0) मात्र की राशि का आंवटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–45 दिनांक–18.05.2026 द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, नियम–1995 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के आलोक में अत्याचार राहत अनुदान हेतु अनु0 जाति के लिए ₹20,00,00,000/– (बीस करोड़ रू0) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत में से ₹6,60,00,000/– (छः करोड़ साठ लाख रू0) मात्र की राशि विभागीय आवंटनादेश संख्या 55 दिनांक–19.05.2026 के द्वारा जिलों को आवंटित की गई है। उसी क्रम में जिलों के मांग के आलोक में को संलग्न विवरणी के अनुसार ₹6,40,00,000/– (छः करोड़ चालीस लाख रू0) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग सं0–44 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्ययकेअंतर्गत अनु0 जाति के लिए मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लधु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0011–छात्रवृत्तियां और वृत्तियां–विषय शीर्ष–0011.33.02–मुआवजा–विपत्र कोड सं0–44-2225012770011 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

4– इस राशि से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु0 जाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध–1{नियम–12(4)} में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ–साथ नियम–12(4)(46) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, सामुहिक हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीडितों को पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष अत्याचार की तारीख से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम/नियम के तहत:–(i) पीड़ित/पीड़िता को वैधिक सहायता, (ii) पीड़ित/पीड़िता को यात्रा भत्ता, (iii) पीड़ित/पीड़िता को दैनिक भत्ता, (iv) पीड़ित/पीडता को राहत और पुनर्वास इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

5–इस राशि से विभागीय संकल्प सं0–1825 दिनांक–19.09.2020 द्वारा अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–15(1) के तहत निर्गत योजना के आलोक में व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

6–अत्याचार राहत अनुदान की राशि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–3808 दिनांक–02 जून, 2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016}के तहत लाभुकों के बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड कर RTGS/NEFTके माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

400

7– राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगें। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

8– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.4.98, वित्त विभाग के परिपत्र सं0–3748 दिनांक–05.04.2010 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

9– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31–03–2027 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेगें।

विश्वासभाजन,

10/8/26

निदेशक।

ज्ञापांक–3/निदे0–पी0ओ0ए0(स्था0 एवं प्र0)01–07/2021– 95 पटना, दिनांकः– 11/08/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार/ वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग/अपर पुलिस महानिदेशक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार/ संबंधित उप विकास आयुक्त/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक।

ज्ञापांक–3/निदे0–पी0ओ0ए0(स्था0 एवं प्र0)01–07/2021– 95 पटना, दिनांक 11/08/2026

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक।

बिहार सरकार

अन0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन हेतु आवंटित राशि की विवरणी:–

राशि लाख में

क्र0सं0	जिला का नाम	कुल राशि
1	2	3
1	ARARIA	10,00,000
2	ARWAL	5,00,000
3	AURANGABAD	20,00,000
4	BANKA	10,00,000
5	BEGUSARAI	15,00,000
6	BHAGALPUR	10,00,000
7	BHOJPUR	20,00,000
8	BUXAR	15,00,000
9	DARBHANGA	15,00,000
10	GAYA	50,00,000
11	GOPALGANJ	20,00,000
12	JAMUI	10,00,000
13	JEHANABAD	9,00,000
14	KAIMUR	20,00,000
15	KATIHAR	7,00,000
16	KHAGARIA	10,00,000
17	KISHANGANJ	11,00,000
18	LAKHISARAI	10,00,000
19	MADHEPURA	15,00,000
20	MADHUBANI	20,00,000
21	MUNGER	10,00,000
22	MUZAFFARPUR	15,00,000
23	NALANDA	20,00,000
24	NAWADA	15,00,000
25	PASHCHIM CHAMPARAN	10,00,000
26	PATNA	40,00,000
27	PURBI CHAMPARAN	25,00,000
28	PURNIA	40,00,000
29	ROHTAS	20,00,000
30	SAHARSA	20,00,000
31	SAMASTIPUR	25,00,000
32	SARAN	30,00,000
33	SHEIKHPURA	10,00,000
34	SHEOHAR	5,00,000
35	SITAMARHI	8,00,000
36	SIWAN	20,00,000
37	SUPAUL	10,00,000
38	VAISHALI	15,00,000
कुल		6,40,00,000

(छः करोड चालीस लाख रू0)

सं0सं 3 / निदे0 पी0ओ0ए0(स्था0एवं प्र0)01–07 / 2021– 95 दिनांक– 11/08/2026

11/8/26

निदेशक।